P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उ0प्र0 में सीमान्त कृषक तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना (कृषकों की आर्थिक दशा सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण कदम)

बन्दना कुमारी
शोधार्थी,
अर्थशास्त्र विभाग,
के0आर0पी0जी0 कॉलेज,
मथुरा, उ0प्र0, भारत

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता हैं, क्योंकि किसान अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से करता है। उ0प्र0 में सीमान्त कृषकों की अधिक संख्या हैं। सीमान्त कृषक वे होते हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि होती हैं। सीमान्त कृषकों के लिए सरकार ने कई योजनायें चलायीं हैं, जिससे कि सीमान्त कृषक जो साहूकारों से अधिक ब्याज पर ऋण लेते हैं। जिनको कोई लाभ नहीं हो पाता हैं, उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाया जा सके, इसलिए सरकार ने कृषकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो योजनायें संचालित की हैं। उनमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी एक प्रमुख योजना हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसी योजना हैं, जो कृषकों को कम ब्याज और कम समय में आवश्यकता के समय ऋण उपलब्ध कराती है। जिससे किसानों को अधिक लाभ हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

यद्यपि इस योजना में कुछ खामियाँ है। मसलन कृषक तथा बैंकों के मध्य, मध्यस्थों (दलालों) का होना, ऋण उपलब्ध कराने में देरी, कागजी कार्यवाही की अधिकता, भ्रष्टाचार आदि।

प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष है कि यदि इन खामियों को दूर किया जाये तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में सतर्कता रखकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाये तो किसानों को योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा इससे जहाँ कृषकों की ऋण अदायगी में वृद्धि होगी वही दूसरी ओर गरीबी दूर होगी। साथ ही किसानों में ऋण ग्रस्तता तथा गरीबी के कारण आत्महत्या जैसी घटनाओं में कमी आयेगी तथा किसान खुशहाल हो जायेगा।

मुख्य शब्द : सीमान्त कृषक, किसान क्रेडिट कार्ड, हेक्टेयर, संसाधन।

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश हैं, जिसकी जनसंख्या का एक बडा भाग कृषि पर निर्भर है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि के माध्यम से ही अपनी जीविका अर्जित करती है। भारत देश में विभिन्न प्रकार के कृषक निवास करते है। जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि हैं। यहाँ कई प्रकार की फसलें उगायीं जाती हैं, जैसे धान, गेहूँ, दाल, मक्का, बाजरा, फल, सब्जियाँ इत्यादि। कृषि कार्य में कृषक का मुख्य स्थान होता हैं। कृषक के द्वारा ही हमें कई प्रकार के अनाजों की प्राप्ति होती है। इसलिए शरीर के विकास व स्वस्थ–स्वास्थ्य के लिए अनाज, फल, सब्जियों का मुख्य स्त्रोत हैं। भारत में कृषि कार्य प्राचीन काल से होता रहा हैं, जो जारी है। कृषि वस्तुयें जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण इसका भविष्य उज्ज्वल हो। इसके निस्तर विकास की सम्भावनायें हैं।

भारत में वर्ष 2010–11 की जनगणना के आधार पर कुल कृषक जनसंख्या में 67.04 प्रतिशत सीमान्त कृषक हैं। वर्तमान में उ0प्र0 में कुल 2.33 करोड़ कृषक हैं। इनमें 1.85 करोड़ सीमान्त कृषक और लगभग 30 लाख लघु कृषक हैं। इस प्रकार से उ0प्र0 में लघु व सीमान्त कृषक की संख्या 2.15 करोड़ हैं। भारत में चार प्रकार के कृषक होते हैं, बड़े कृषक, मध्यम कृषक, लघु कृषक, सीमान्त कृषक उ0प्र0 में वर्ष 2000–01 की कृषि जनगणना के अनुसार सीमान्त कृषकों के पास औसत कृषि योग्य भूमि 0.40 हेक्टेयर थीं, जो वर्ष 2010–11 में घटकर 0.38 हेक्टेयर रह गई हैं। भारत में ज्यादातर छोटे कृषक व सीमान्त कृषक हैं। सीमान्त कृषकों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन कृषक के पास खेती करने के लिए एक जोड़ी बैलों की जरूर होती थीं। उसी से खेती की

जाती थी। कम लागत में खुद के कृषि उपकरण होते थे और पशुधन भी होता था। वर्तमान समय में सीमान्त कृषक आधुनिक उपकरणों से खेती करते हैं। वे ट्रैक्टर, सोइंन मशीन, थ्रेशिंग मशीन खरीद नहीं सकते तो बड़े कृषकों के पास मौजूद उपकरणों को किराये पर इस्तमाल करते हैं। इन उपकरणों ने छोटें कृषकों के घरों से धीरे–धीरे पशुधन को कम किया हैं, जो किसान दूध के लिए आत्मनिर्भर था अब वह भी खरीदता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

उ0प्र0 में किसानों के लिए कृषि ऋण प्रणाली क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली एक नई अवधारणा है, जो विशेष किसानों के लिए संरक्षित थीं। छोटे और सीमान्त कृषकों को उन तक पहुँच नहीं थीं। कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सहकारी बैंक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड तक अपनी पहुँच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कृषकों को नगद ऋण की सुविधा प्रदान कर रहे थे, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य केवल किसानों को कृषि क्षेत्र में मदद करना हैं। किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से पर्याप्त और कम समय पर ऋण उपलब्ध कराना हैं, जिससे लचीले और लागत प्रभावी तरीके से इनपुट खरीदना शामिल हैं। यह देरी के अनुमोदन और ऋण जारी करने से अधिक किसानों को ऋण के प्रवाह में तेजी लाने का इरादा रखता है। उधारकर्ताओं के लाभ, लचीले संचालन के कारण से समयवद्धता का रूप हैं, जबकि लागू करने से बैंकों को फायदा होता हैं।

उ0प्र0 में सरकार इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को पूर्ण सिंचित भूमि का आंकलन करके वास्तविक मूल्य निर्धारित कर बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करती हैं तथा भूमि के मूल्य के आधार पर कृषकों को फसल ऋण उपलब्ध कराती हैं। वर्ष 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषकों को अधिक ऋण दिलाने में सफल रही हैं। इस योजना के तहत कृषक को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रू0 3. 00 लाख तक का कर्ज 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ किसी बैंक से ले सकता है। एक वर्ष के अन्दर कर्ज चुकाने पर उसे ब्याज दरों में 3 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है और बैंकिंग व्यवस्था से कृषकों को कम समय एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी साधनों को खरीदने के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छी सुविधा हैं। इसमें किसान को रू0 5.00 लाख से रू0 3.00 लाख तक कर्ज दिया जाता है। जिसकी ब्याज दर 7 प्रतिशत होती हैं, जो किसानों के लिए सही है। इस किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान कृषि उत्पादन तथा विक्रय में लाभ उठा सकता है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजनायें वर्तमान में सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई हैं और प्रभाव दिखने लगा हैं। ग्रामीण किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण समस्या को खत्म कर दिया हैं। जिससे किसानों को कम समय पर पैसा उपलब्ध हो रहा है और वे मध्यस्थों (दलालों) के जाल से बच रहें हैं। जिससे उनका जीवन स्तर भी ऊँचा हो रहा है, साथ ही भारत में ग्रामीण वित्त सम्बन्धित अनेकों योजनायें चलायीं गयीं हैं। उन्हीं योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोग खेती से जुड़े हुये हैं।

कृषि ऋण एवं ब्याज दर

कृषकों को खेती करने के लिए सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक वर्ष के लिए कृषि ऋण देगी। जिला सहकारी/केन्द्रीय बैंक को छोड़कर सभी बैंकों से फसलों के लिए यह कर्ज 9 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। सरकार इस पर 5 प्रतिशत छूट देगी। इसमें किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज भुगतान करना होगा, जो किसान एक वर्ष में कर्ज का भुगतान नहीं कर सका, तो उसे ब्याज पर सिर्फ 2 प्रतिशत ही छूट मिलेगी। वहीं जिन किसानों ने सिर्फ छः माह के लिए कर्ज लिया हैं, तो भी 2 प्रतिशत छूट मिलेगी। शेष मामलों में उन्हें 7 प्रतिशत ब्याज देना होगा। प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसान के कर्ज पुनर्गठन के मामले में पहले वर्ष ब्याज में 2 प्रतिशत छूट मिलेगी। किसी भी बैंक से आप कर्ज लेकर समय पर लौटाते हैं, तो बैंक प्रत्येक वर्ष कुल लोन का 100 प्रतिशत क्रेडिट बढ़ा देगा। इसी तरह से 2 या 4 वर्ष में भी क्रेडिट में 10–10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती हैं।

समस्या एवं अध्ययन का उद्देश्य

उ0प्र0 में सीमान्त कृषक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कृषकों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता हैं, क्योंकि कृषि में अधिक लागत लगती हैं। जिससे उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती हैं और जो कृषि के लिए ऋण लेता है। उसका भी भुगतान नहीं कर पाता हैं। कभी–कभी किसान को आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे– बाढ़, सूखा, भूकम्प, आग, शीत लहर, लू व आँधी–तूफान आदि। जिससे किसानों को हानि अधिक होती हैं, इसलिए कई किसान आत्म–हत्या कर लेते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य यह है कि उ0प्र0 में सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक हैं। जिसमें अधिकांश कृषक गरीब हैं, क्योंकि कृषकों को कृषि के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता हैं। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए। जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, ताकि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो सके। सरकार को ऐसे सुझाव दें कि सीमान्त कृषकों के लिए नवीन योजनायें चलायें। जिससे कृषकों को कृषि करने में अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जैसे– नई फसलों के लिए आर्थिक सहायता देना, फसल को करने के लिए कम समय में ऋण उपलब्ध कराना और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना आदि।

साहित्यावलोकन

उ0प्र0 में सीमान्त कृषक तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना इस विषय से सम्बन्धित कुछ पत्र, पत्रिकाओं, रिसर्च पेपर और थीसिस का विवरण निम्न प्रकार हैं–

1. एस0के0 मिश्रा और बी0के0 पुरी 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई इस पुस्तक में भारतीय कृषि के स्वरूप, भूमि सुधार, कृषि वित्त एवं खेतिहर मजदूरों की समस्या, किसान

क्रेडिट कार्ड इत्यादि पर विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है।

2. एल0एन0 कोली एवं बृजेश रावत 'भारतीय अर्थव्यवस्था' प्रकाश लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा इस पुस्तक में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा दी।
3. हरदर्शन कौर नवकिरन जीत कौर धालीवाल 'भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति' पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब, इण्डिया इस रिसर्च पेपर में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम दर एवं अल्पावधि में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।
4. ज्योति दरबारी 'कृषकों के विकास में क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंकों की भूमिका (मैनपुरी उ0प्र0 के ग्रामों के विकास के संदर्भ में)' समाजशास्त्र विषय, नारायण पी0जी0 कॉलेज, शिकोहाबाद इस शोध कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका के बारे में बताया गया हैं।

उपरोक्त उल्लेखित पुस्तकों एवं लघु शोध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सीमान्त कृषक के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कम दर पर ऋण उपलब्ध करने के लिए सुविधा दिलाने पर बल दिया हैं।

शोध पत्र की परिकल्पना

शोध विषय के सम्बन्ध में प्रमुख परिकल्पनायें निम्न हैं–

1. उ0प्र0 में सीमान्त कृषक गरीब हैं उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हैं।
2. सीमान्त कृषकों को अपनी फसल का सही उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता।
3. उ0प्र0 में सीमान्त कृषकों के पास कम भूमि होने के कारण उत्पादन लागत का मूल्य अधिक होता हैं।
4. सरकार द्वारा चलायीं गयी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक न होने के कारण सीमान्त कृषकों को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता हैं।
5. उ0प्र0 में सीमान्त कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से खेती करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

शोध विधि

सामाजिक विज्ञान में अनेक अनुसंधान विधियाँ प्रचलित हैं, परन्तु अनुसंधान के अन्तर्गत उ0प्र0 के ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है। यह विधि ग्रामीण सीमान्त किसान के समग्र तथ्यों के निष्पादन में अधिक विश्वसनीय हैं। इस विधि के अन्तर्गत प्रचलित संगठन पद्धति तथा देव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया हैं। उ0प्र0 में 75 जिला का 5 प्रतिशत लगभग 4 जिलों का अध्ययन किया गया हैं। निदर्शन विधि के द्वारा ही छाँटे गये 4 जिलों में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी जिलों का चयन किया गया हैं। इन जिलों के 15–15 गाँवों के अध्ययन के आधार पर उन ग्रामों में स्तरीय निदर्शन पद्धति से छाँटे गये 10–10 सीमान्त किसानों का अध्ययन करके कुल 600 सीमान्त कृषकों का अध्ययन किया गया है। इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

उपलब्धियाँ एवं सुझाव

उ0प्र0 में सरकार द्वारा सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अनेकों प्रयास किये गये उनमें से प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं–

1. उ0प्र0 में सरकार दलालों की समाप्ति पर अधिक जोर दे रही हैं। जिससे किसानों को दलालों के माध्यम से ऋण न लेना पड़े क्योंकि वह ठकते हैं, उससे बच सकें।
2. सीमान्त कृषकों को समय पर ऋण देने और समय पर ऋण चुकानें पर जोर दे रही है।
3. उ0प्र0 में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक खोली हैं, उनसे भी कृषक अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है और कम दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है।
4. राष्ट्रीय कृत बैंक भी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड एवं ऋण कम दर पर उपलब्ध कराती है।
5. सीमान्त कृषकों को खेती करने के लिए किराये पर उपकरण यन्त्र उपलब्ध कराती है। जिससे कृषक खेती कर सकें, इससे सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा में पहले की तुलना में सुधार हुआ है।

उ0प्र0 में सीमान्त कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो किसान क्रेडिट योजना संचालित की गयी हैं। उसमें कुछ खामियाँ हैं, उनको सुधारने के निम्न सुझाव दिये जाते हैं–

1. उ0प्र0 में सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन में सतर्कता वर्तनीय चाहिए, ताकि उसमें कोई कमियाँ न हो।
2. भ्रष्टाचार्य पर अंकुश लगाया जाए।
3. समय पर फसल बिक्री करने के तुरन्त बाद ऋण की अदायगी कर दी जाये, ताकि सीमान्त कृषक पर अधिक ब्याज न लगे।
4. दलालों से दूर रखा जाये और बैंकों से सीधा सम्पर्क रखा जाये, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कर सकता है।
5. कृषक खेती करने के लिए पहले से कच्चा माल न खरीदें, ताकि उनकों ज्यादा ऋण न देना पड़े। किसान को जब जरूरत हो तभी खरीदकर लाये।

निष्कर्ष

भारत एक कृषि प्रधान देश तथा गाँव का देश हैं, जिसकी 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उ0प्र0 में सीमान्त कृषकों की संख्या 2 करोड़ 33 लाख है। जिनमें से लगभग 2 करोड़ 15 लाख छोटे और सीमान्त कृषक हैं। इस संख्या में एक करोड़ 85 लाख करीब 80 प्रतिशत सीमान्त और 13 प्रतिशत छोटे किसानों की हिस्सेदारी हैं। सीमान्त कृषक के पास औसतन 0.45 से 0.50 हेक्टेयर भूमि हैं। किसानों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना साथ ही आकस्मिक खर्चों एवं सहायक कार्यकलापों से सम्बन्धित खर्चों की पूर्ति करती हैं। इस योजना के तहत किसान कम ब्याज पर आसानी से कृषि ऋण प्राप्त

कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष लोन प्रकिया का सामना नहीं करना पड़ता हैं। किसानों को शीघ्रता से ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज की सहायता मिलती हैं, साथ ही रू0 3.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए 2 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी मिलता हैं और किसान वर्ष में कभी भी ऋण ले सकता हैं। उ0प्र0 में सीमान्त कृषकों के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषकों की मदद करना चाहती है। जिससे किसानों को अधिक ब्याज पर साहूकारों से पैसे लेकर खेती न करनी पड़े। जिससे कि कृषकों को कम से कम लागत में फसल तैयार हो सके, ताकि ग्रामीण लोगों को कम दामों पर अनाज उपलब्ध हो सके, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना श्री आर0वी0 गुप्ता समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1998 में की गई थीं। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड को वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। कुछ बड़ी बैंक के साथ प्रवचन करने के बाद नाबार्ड बैंक के द्वारा इस योजना को लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश था कि भारतीय किसानों को कृषि करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करना जैसे बीजों की खरीददारी, खाद् की खरीददारी, कृषि भूमि की जुताई, बीजों का रोपड़, फसल की सिंचाई, फसल की कटाई, फसल को शीतगृह में रखने का खर्च और फसल को मण्ड़ी तक ले जाने के लिए साधन का खर्चा आदि कार्य करने के लिए आवश्यक होती हैं।

कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव के आंकलन का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा हैं। भारत में कृषि आय और उत्पादन अक्सर सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। कृषि की संवेदशीलता इन आपदाओं के प्रकोप के कारण महामारी जैसी आग, नकली बीज, खाद् और कीटनाशकों की बिक्री और मानव निर्मित आपदाओं में आय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शोध पत्र में प्रयुक्त मुख्य शब्द

सीमान्त कृषक

वे कृषक जिनके पास एक हेक्टेयर भूमि होती है।[1]

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड वह कार्ड होता हैं, जिस पर सरकार बैंकों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है।[2]

हेक्टेयर

हेक्टेयर क्षेत्रफल का एस0आई0 मात्रक है जो भूमि को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। एक हेक्टेयर 100 एअर के बराबर है।

संसाधन

संसाधन से तात्पर्य कृषि प्रयुक्त उत्पादन के साधनों से हैं, जिनसे कृषक खेती करता है। ये संसाधन भूमि, पूंजी, श्रम प्रबन्ध तथा साहस है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

रूद्र दत्त एवं के0पी0 एस0 सुन्दरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस0 चन्द्र पब्लिकेशन, 2006

अमर्त्य सेन 'भारत की विकास की दशाएँ' राजपाल पब्लिकेशन, 2000

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकी मार्च, 1991 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विभाग)

रिपोर्ट ऑफ कमेटी टू रिव्यू एग्रीकल्चर फॉर इन्स्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट।

Role of Banks in National Economics Policy (OX For Basil Black Well) Hallet G (1971)

Google.

अंत टिप्पणी

1. *कटार सिंह एवं अनिल शिशोदिया 'ग्रामीण विकास सिद्धान्त नीतियाँ एवं प्रबन्ध' साग पब्लिकेशन इण्डिया, 1986 पृ0 350*
2. *एस.के.मिश्रा एवं वी.के. पुरी 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई, 2006 पृ0 355*